रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 252] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

आयकर

सा.का.नि. 318(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115खखच की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 5च के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"5छ धारा 115खखच के अधीन पेटेंट से आय के कराधान के लिए प्ररूप का विकल्प—

(1) धारा 115खखछ के अधीन कोई पात्र निर्धारिती द्वारा भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट और की बाबत स्वामित्व के रूप में आय के कराधान के लिए विकल्प को प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, पात्र निर्धारिती इसमें उपदर्शित रीति में सम्यक सत्यापित प्ररूप 3गछक में देगा और उसे पात्र निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित में दिया जाएगा, अर्थात् :--

(i) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप से, या

(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम इलैक्ट्रानिक रूप से ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सभी प्रकार पूरा होगा और सुसंगत वर्ष की आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व दिया जाएगा, यदि उस निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प दिया गया है ।

(3) महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) सुरक्षित और आंकड़ो का पारेषण सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाएं, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप को देने और सत्यापन के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा । क्रियान्वयन, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट 2 में 'प्ररूप सं.3गच-III' के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

प्ररूप 3गचक

(नियम 5छ के साथ पठित धारा 115खखछ की उपधारा (3) देखें)

पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में आय के कराधान के लिए विकल्प हेतु, प्ररूप

1. साधारण:
   (क) निर्धारिती का पूरा नाम;
   (ख) स्थायी लेखा संख्या;
   (ग) निर्धारिती का पता;
   (घ) कारबार की प्रकृति या निर्धारिती के क्रियाकलाप
   (ड) प्रास्थिति

2. क्या धारा 115च के अनुसार पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में आय प्रस्थापना के लिए विकल्प निर्धारण वर्ष के लिए प्रयोग किया जाना है? हां/नहीं

(i) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाए,--

(1) समाप्ति पूर्व वर्ष:

(2) निर्धारण वर्ष:

(3) निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख (यदि पहले ही फाइल किया गया है):

3. क्या उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष किसी पांच वर्ष के लिए धारा 115खखच के अनुसार कराधान के लिए पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में प्रस्थापित नहीं की गई है जिसमें धारा 115खखच के अधीन स्वामिस्व के रूप में आय के कराधान के लिए विकल्प विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया है । हां/नहीं

(i) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरा दिए जाएं--

(क) समाप्ति पर पूर्व वर्ष जिसे धारा 115खखच के अधीन स्वामिस्व के रूप में आय के काराधान के लिए विकल्प पहले रूप से विधिमान्य का प्रयोग किया गया है:

(ख) समाप्ति पर निर्धारण वर्ष जिसे 115खखच के अधीन स्वामिस्व के रूप में आय के कराधान के लिए विकल्प पहले रूप से विधिमान्य का प्रयोग किया गया है;

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लखित निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख:

4.**पात्र पेटेंट

क्रम सं	पेटेंट की बाबत विशिष्टियां	टिप्पणियां
अ.	पेटेंट के ब्यौरे पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन अनुदत्त की गई पेटेंट संख्या । (क) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन पेटेंट अनुदत्त करने की तारीख । (ख) विकसित पेटेंट का ब्यौरा और आविष्कार, पेटेंट अधिनियम की धारा 2 में बयौरेवार के रूप में पेटेंट की प्रक्रिया । (ग) क्या एकल व्यक्तियों के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है: यदि हां: सत्य और पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के रूप में पहले आविष्कारक के पेटेंटी का नाम । यदि नहीं: पेटेंट के पेटेंटियों के नाम (सत्य और पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के रूप में पहला आविष्कारक) ।	

आ.	पात्र पेटेंट से आय का स्वामिस्व (क) पूर्व वर्ष के लिए पात्र पेटेंट से स्वामिस्व आय की रकम । (ख) धारा 115खखच के लिए स्पष्टीकरण के खंड (ज) में निर्दिष्ट के रूप में पूर्व वर्ष के लिए पात्र पेटेंट से व्युत्पन्न की आय स्वामिस्व आय की प्रकृति । (i) पेटेंट की बाबत सभी या किन्हीं अधिकार (अनुज्ञप्ति अनुदत्त सम्मिलित करते हुए) का अंतरण; (ii) कार्यरत या उपयोग के संबद्ध किसी सूचना को प्रदान करने का नाम कोई पेटेंट; (iii) किसी पेटेंट का उपयोग; (iv) उपखंड (i) से उपखंड (ii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से संयोजक में किन्हीं सेवाएं देना;	
इ.	पात्र पेटेंट पर उपगत व्यय (क) आविष्कार की बाबत जिसे पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन अनुदत्त किया गया है, किसी आविष्कार के लिए पेटेंट निर्धारिती पर उपगत कुल व्यय । (ख) आविष्कार की बाबत जिसे पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन अनुदत्त किया गया है, किसी आविष्कार के लिए पात्र निर्धारिती पर व्यय । (ग) आविष्कार की बाबत जिसे पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन अनुदत्त किया गया है, पात्र निर्धारिती द्वारा बाह्य भारत में उपगत व्यय । (घ) क्या उपर्युक्त (क) के अधीन उपगत पचहत्तर प्रतिशत या अधिक से भिन्न (ख) उपर्युक्त में उपगत व्यय है?	हां/नहीं

***घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें यहां दी गई जानकारी सही और सत्य है ।

स्थान:
तारीख:

भवदीय,

***हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/हैसियत
पता

टिप्पण:

*यथास्थिति, सुसंगत निर्धारण वर्ष या पहला सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ब्यौरे उपबंधित किया जाए ।

**प्रत्येक पात्र पेटेंट की विशिष्टियां, स्वामिस्व आय और व्यय उपगत ब्यौरों के साथ पृथक रूप से रिपोर्ट की जानी चाहिए ।

***प्ररूप, प्रस्तुत किया जाए और धारा 140 के अधीन आय की विवरणी के हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए ।"

[अधिसूचना सं. 25/2017/एफ. सं. 370142/1/2017-टीपीएल]
पितांबर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना संख्या का.आ.**1006**(अ) तारीख **31** मार्च, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।